मध्य प्रदेश
जिला योजना समिति अधिनियम,
क्रमांक 19 सन् 1995

(21.3.2007 की स्थिति में)

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक 19 सन् 1995

मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995

विषय सूची

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. जिला योजना समिति
4. समितियों की संरचना
5. विशेष आमंत्रित
6. निर्वाचित सदस्यों की अवधि
7. समिति के कृत्य
8. सचिव
9. उप समितियों का गठन
10. समिति का सम्मिलन
11. नियम बनाने की शक्ति
12. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

अनुसूची

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 19 सन् 1995
मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995

(दिनांक 19 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण)'' में दिनांक 23 मई, 1995 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

''भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य घ के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समितियों का गठन करने तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम''

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

परिभाषाएं :–

(क) ''समिति'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति,

(ख) ''जिला'' का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है और इसमें सम्मिलित है एक या अधिक ऐसे राजस्व जिले या उनके भाग जो कि जिले के लिए गठित जिला पंचायत के भीतर समाविष्ट है.''

(ग) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित पंचायत,

(घ) ''जनसंख्या'' से अभिप्रेत है, ऐसी अंतिम पूर्ववती जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या,

(ड.) ''नगरपालिकाएं'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदें तथा नगर पंचायतें.

जिला योजना समिति :–

3. (1) जिले में की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) तथा उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में हैं, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा.

(2) प्रत्येक समिति, विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय, –

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी –

(एक) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामले जिसमें स्थान विषयक योजना, जल का बंटवारा और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधन, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संबंधी संरक्षण भी सम्मिलित है :

(दो) उपलब्ध संसाधनों, चाहे वे वित्तीय हों या अन्यथा की सीमा तथा प्रकार.

(ख) ऐसी संस्थाओं तथा संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(3) जहां नगर पालिका/जिला पंचायत के विद्यमान सदस्यों की अवधि का अवसान हो गया हो और निर्वाचित सदस्य समिति के सदस्य नहीं रहते हैं तब शेष बच रहे सदस्य सहित समिति नए निर्वाचन होने तक कृत्यों का निर्वहन करती रहेगी.

समितियों की संरचना :–

4. (1) समिति में भिन्न भिन्न जिलों में 10, 15 या 20 सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए,

(2) (एक) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 4/5 सदस्य, यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह (ग्रुप) में की जिला पंचायत तथा नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा उनमें से विहित रीति में निर्वाचित किये जायेंगे.

(दो) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या का अनुपात यथा संभव निकटतम रूप से वही होगा जिस अनुपात में यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह (ग्रुप) में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है.

(3) समिति के शेष सदस्य होंगे –

(क) मध्यप्रदेश राज्य का एक मंत्री जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा जो समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा,

(ख) जिले का कलेक्टर जो सदस्य सचिव होगा,

(ग) जहां पर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या–

(एक) पन्द्रह है तो एक सदस्य, या

(दो) बीस हैं तो दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगेः

परन्तु उस जिले का कलेक्टर जिसमें जिला पंचायत वर्णित है, जिला योजना समिति का सदस्य–सचिव होगा.

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्देशित सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसी की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए.

विशेष आमंत्रित :–

5. (1) (क) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का, जो जिले में पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य समिति के सम्मिलनों में स्थायी विशेष आमंत्रित होंगे.

(ख) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्य उनकी अपनी पसंद के एक जिले की समितियों के सम्मिलनों में स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे.

(2) ऐसे आमंत्रिती, जो मंत्री हैं या संसद सदस्य हैं समिति की बैठक में उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे.

(3) जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा नगरपालिक निगम के महापौर भी उस दशा में स्थायी विशेष आमंत्रिती होंगे, जबकि वे समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं.

निर्वाचित सदस्यों की अवधि :–

6. (1) समिति का निर्वाचित सदस्य, यदि वह यथास्थिति, जिला पंचायत या नगर पालिका का सदस्य नहीं रह जाता है तो समिति का सदस्य नहीं रह जायेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन या किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण उद्‌भूत रिक्ति धारा 4 के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी.

समिति के कृत्य :–

7. समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :–

(1) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना,

(2) योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी का संग्रहण, संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं खण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना,

(3) ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तरों पर उपलब्ध सुख–सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना,

(4) उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय सम्मत उपयोग/विदोहन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना,

(5) पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक–आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना,

(6) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना,

(7) जिले की योजना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना,

(8) जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन करना,

(9) विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें भी सम्मिलित हैं की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुनर्विलोकन करना,

(10) जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के संबंध में नियमित प्रगति – रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना,

(11) ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से सम्बद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनिधान अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे,

(12) विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना,

(13) जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली राज्य सेक्टर की स्कीमों के संबध में राज्य सरकार को सुझाव देना,

(14) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति को सौंपे जाएं.

सचिव :–

8. जिले का कलेक्टर समिति का सचिव होगा तथा समिति का अभिलेख रखने, चर्चाओं का अभिलेख तैयार करने तथा समिति के विनिश्चयों को संसूचित करने तथा उससे संसक्त अन्य सभी आनुषंगिक मामलों के लिए जिम्मेदार होगा.

उप समितियों का गठन :–

9. (1) समिति इस अधिनियम के अधीन उसको सौंपे गये एक या अधिक कृत्यों के निर्वहन के लिए उप समितियों का गठन कर सकेगी, जिनमें समिति के सदस्य ओर स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उप समितियां विहित रीति में गठित की जाएगी :–

(एक) जिले में रोजगार के अवसरों के सृजन को मानीटर करने तथा स्वरोजगार सृजित करने वाली स्कीमों को सम्मिलित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय,करने के लिए;

(दो) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की विशिष्ट स्कीमों के लिए योजना बनाने तथा उनका समन्वय करने के लिए.

समिति का सम्मिलन :–

10. (1) समिति का सम्मिलन वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा.

(2) समिति के सम्मिलन नियत तारीख तथा समय पर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे.

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

(4) समिति अपने सम्मिलनों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी.

(5) सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए अशासकीय सदस्यों तथा विशेषज्ञों को ऐसा यात्रा–भत्ता तथा अन्य भत्ते जैसे कि विहित किए जाएं, संदत्त किए जाएंगें.

(6) राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी नियम या जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत के अध्यधीन रहते हुए समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी.

नियम बनाने की शक्ति :–

11. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाइयां दूर करने की शाक्ति :–

12. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हैः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात नहीं किया जाएगाः–

//अनुसूची//

.....

{ धारा 4(1) देखिए }

अ. क्र.	समिति का नाम	सदस्यों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :–	10
1.	श्योपुर	
2.	दतिया	
3.	उमरिया	
4.	नीमच	
5.	हरदा	
6.	डिंडोरी	
2.	**निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :–**	15
1.	पन्ना	
2.	दमोह	
3.	बड़वानी	
4.	होशंगाबाद	
5.	कटनी	
6.	नरसिंहपुर	
7.	अशोकनगर	
8.	अनूपपुर	
9.	बुरहरानपुर	
3.	**निम्नलिखित जिलों की जिला योजना समिति :–**	20
1.	मुरैना	
2.	भिण्ड	
3.	ग्वालियर	
4.	गुना	
5.	शिवपुरी	
6.	छतरपुर	
7.	मंदसौर	
8.	सतना	
9.	शहडोल	
10.	सीधी	
11.	रतलाम	

अ. क्र.	समिति का नाम	सदस्यों की संख्या
(1)	(2)	(3)
12.	उज्जैन	
13.	शाजापुर	20
14.	देवास	
15.	झाबुआ	
16.	धार	
17.	खरगौन	
18.	खण्डवा	
19.	राजगढ़	
20.	विदिशा	
21.	भोपाल	
22.	सीहोर	
23.	रायसेन	
24.	बैतूल	
25.	बालाघाट	
26.	छिंदवाड़ा	
27.	सिवनी	
28.	सागर	
29.	टीकमगढ़	
30.	रीवा	
31.	इन्दौर	
32.	जबलपुर	
33.	मण्डला	

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जून, 1995

क्र. एफ 9–11–95–तेईस–यो–2 – मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

// नियम //

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** : – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति निवार्चन नियम, 1995 है.
(2) ये नियम उनके ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे.

2. **परिभाषाएं** : – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन 1995)

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश जिला योजना समिति;

(ग) ''निर्वाचन'' से अभिप्रेत है, जिला योजना समिति में स्थान या स्थानों को भरने हेतु निर्वाचन;

(घ) ''निर्वाचित सदस्य'' से अभिप्रेत है, जिला पंचायत या नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य;

(ड.) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप;

(च) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति का सदस्य;

(छ) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, जिला पंचायत की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र;

(ज) ''नगरीय क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, जिले की नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के स्थानीय क्षेत्र;

(झ) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में दिया गया है.

3. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के सदस्यों की संख्या का अवधारण :–

(1) कलेक्टर, अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का अवधारण करेगा. नगरीय क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों, प्रत्येक को एक समूह के रूप में लेते हुए, सामूहिक रूप से, इन समूहों के स्थानीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात में विभाजित की जायेगी. सदस्यों की संख्या का अवधारण करते समय अपूर्णांक, यदि कोई हो, तो उसे ऐसे समूह के साथ जोड़ा जाएगा जिसके हिस्से में सदस्यों की संख्या सबसे कम हो.

''परन्तु यदि समस्त तीन समूहों में से केवल एक सदस्य का ही निर्वाचन किया जाना हो तो अपूर्णांक को सबसे अधिक जनसंख्या वाले समूह के हिस्से में जोड़ा जायेगा.''

(2) उपनियम (1) के अधीन अवधारित ग्रामीण क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले समिति के सदस्यों की संख्या, का निर्वाचन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और नगरीय क्षेत्र के लिए अवधारित सदस्यों की संख्या का निर्वाचन जिले के नगर पालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में से, उन्हीं के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा.

(3) इस प्रकार अवधारित संख्या को कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत एवं जिले की प्रत्येक नगरपालिका को अधिसूचित किया जाएगा और इसकी जानकारी उसके कार्यालय के सूचना फलक पर भी चिपकाई जाएगी.

4. सदस्यों के निर्वाचन के लिए सम्मिलन :– जिला कलेक्टर इन नियमों के प्रारंभ होने के एक माह के भीतर तथा उसके पश्चात किसी भी स्थान के रिक्त होने के एक माह के अंदर समिति के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन से एक निर्वाचित सदस्यों का सम्मिलन बुलाएगा और ऐसे सम्मिलन के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा.
''परंतु यदि कलेक्टर की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें सम्मिलन बुलाना या निर्वाचन कराना संभव नहीं है तो वह आदेश द्वारा तथा उसमें कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे, सम्मिलिन को स्थगित अथवा निर्वाचन को मुल्तवी कर सकेगा और यह तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में तुरन्त लाया जायेगा और राज्य सरकार इस संबंध में निर्देश देगी.''
''परंतु यदि नगरपालिका या जिला पंचायत में कोई स्थान किसी भी कारण से रिक्त हो तो ऐसा निर्वाचन कराने के लिए शेष निर्वाचित सदस्यों का सम्मिलिन बुलाया जायेगा.''
''परंतु यह और कि यदि यथास्थिति, जिलों या जिलों के समूह में जिला पंचायत, नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत के सामान्य निर्वाचनों में अधिकांश स्थान किसी भी कारण से भरे नहीं जा सकें हों तो इस समूह से जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन अनिश्चित समय के लिए मुल्तवी कर दिया जाएगा और कलेक्टर, राज्य सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेगा.''

5. निर्वाचित सदस्यों की सूची :– कलेक्टर, निर्वाचन के लिए सम्मिलन की तारीख के पूर्व जिले की प्रत्येक जिला पंचायत तथा नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की सूची अभिप्राप्त करेगा.

6. निर्वाचित सदस्यों की पहचान :– सम्मिलन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक होगा कि वे यथास्थिति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त, नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इस आशय का, कि वह उस निकाय के निर्वाचित सदस्य हैं, के संबंध में एक प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करेंगे.

7. निर्वाचन पृथक्–पृथक् आयोजित किया जाएगा :– ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन एक ही समय पर पृथक्–पृथक् किया जावेगा.

8. पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति :– इन नियमों के अधीन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर व्यक्ति से अनिम्न श्रेणी के किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा.

9. निर्वाचन के लिए सम्मिलन :– सदस्यों के निर्वाचन के लिए सम्मिलन की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी.

10. नाम निर्देशन :–

(1) पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों से पृथक्–पृथक् निर्वाचित किए जाने हेतु सदस्यों की संख्या घोषित करेगा तथा उसके लिए प्ररूप 1 में नाम निर्देशन आमंत्रित करेगा.

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए एक निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित किया जाएगा.

(3) वैध रूप से प्रस्तावित तथा समर्थित समस्त अभ्यर्थियों के नाम पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे और सम्मिलन में पढ़े जाएंगे.

11. निर्वाचन की रीति :–

(1) यदि अभ्यर्थियों की संख्या जिनका नाम इस प्रकार पढ़ा गया है, स्थानों की संख्या के बराबर है तब पीठासीन अधिकारी ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ घोषित करेगा.

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या स्थानों की संख्या से कम है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ घोषित करेगा तथा शेष स्थानों को भरने के लिए या तो नए नाम निर्देशन मंगवाएगा या निर्वाचन को अगले सम्मिलन के लिए स्थगित करेगा.

(3) यदि प्रस्तावित अभ्यर्थियों की संख्या स्थानों की संख्या से अधिक है तो मतपत्र द्वारा निर्वाचन किया जाएगा ।

12. मतपेटी :– कलेक्टर मतपेटी की व्यवस्था करेगा जो ऐसे परिकल्प (डिजाइन) की होगी जिसमें मत पत्र डाले जा सकें, किन्तु मतपेटी को खोले बिना और सील तोड़े बिना उन्हें निकाला न जा सके.

13. मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मतपेटियों का सील किया जाना :–

(1) पीठासीन अधिकारी, मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, निर्वाचन में उपयोग में की जाने वाली मतपेटी का अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा और उनके तथा उपस्थित समस्त अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि वह (मतपेटी) खाली है.

(2) पीठासीन अधिकारी, उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मतपेटी को सुरक्षित रूप से बंद करेगा और उस पर इस प्रकार सील लगाएगा कि पेटी में मतपत्र डालने के लिए बना हुआ छिद्र खुला रहे और अभ्यर्थी यदि वे चाहे तो उस प्रयोजन के लिए मतपेटी में बने हुए स्थान पर अपनी सील लगाने देगा.

(3) मतपेटी के लिए उपयोग में लाई गई सील इस प्रकार लगाई जाएगी, जिससे कि ऐसी सील को या ऐसे किसी धागे को जिस पर सीलें लगी हों, तोड़े बिना मतपेटी को फिर से खोलना संभव न हो सके.

14. मतों का अभिलिखित किया जाना आदि :–

(1) नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों से निर्वाचित हुए प्रत्येक सदस्य को क्रमशः प्ररूप 2–क, 2–ख तथा ग में मत पत्र प्रदाय किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को प्ररूप दो–घ में मतपत्र प्रदाय किए जाएंगे, जिस पर समस्त संबंधित अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में देवनागरी लिपि में वर्णक्रमानुसार मुद्रित या स्पष्ट रूप से लिखित होंगे और उन पर अनुक्रमांक लिखा होगा.

(2) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा और सील लगाएगा जिससे कि उसकी (मतपत्र की) प्रमाणिकता उपदर्शित हो.

(3) प्रत्येक निर्वाचित सदस्य तब पीठासीन अधिकारी द्वारा विहित किए गए क्रम में मतदान के लिए निर्धारित स्थान में जाएगा और वहां मतपत्र पर उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने "X" का चिन्ह लगाएगा जिनको वह मत देने की इच्छा रखता हो. जिला पंचायत, नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास क्रमशः जिला पंचायत, नगर निगमों, नगरपालिकाओं तथा नगर पंचायतों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के समतुल्य मत होंगे. तब वह मत को मोड़ेगा जिससे कि

मत की गोपनीयता बनी रहे और फिर पीठासीन अधिकारी तथा अन्य सदस्यों के सामने उस मतपेटी में डालेगा.

(4) यदि निरक्षरता या शारीरिक शैथिल्य के कारण कोई निर्वाचित सदस्य अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी उसे ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगा जो उसे अपना मत गोपनीयता के साथ अभिलिखित किए जाने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो.

(5) पीठासीन अधिकारी मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करवाएगा.

(6) पीठासीन अधिकारी मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् उपस्थित निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति में मतपेटी खोलेगा, उसमें से मतपत्र बाहर निकालेगा, उनकी गणना करेगा और उनकी कुल संख्या को अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा से अभिलिखित करेगा और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या प्ररूप 3 में अभिलिखित करेगा.

(7) कोई मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा, यदि –

(क) उस पर निर्वाचित सदस्य के हस्ताक्षर हो या कोई ऐसा शब्द, चिन्ह या दृश्यरूपेण हो जिससे वह पहचाना जा सके, या
(ख) उस पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिन्ह लगाए गए हों, या
(ग) उस पर चिन्ह इस प्रकार लगाया हो कि जिससे यह बात शंकास्पद हो जाए कि किस अभ्यर्थी को यह मत दिया गया था, या
(घ) उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया हो, या
(ड.) उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर या सील नहीं है.

(8) पीठासीन अधिकारी तदोपरान्त अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा के अंतर्गत उपनियम (6) में निर्दिष्ट विवरण में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम जिन्होंने सबसे अधिक वैध मत प्राप्त किए हों, घटते हुए क्रम में सूची–बद्ध करेगा और रिक्त स्थान की संख्या के अनुसार उनको निर्वाचित घोषित करेगा.

(9) अभ्यर्थियों के बीच मतों की समानता की दशा में, पीठासीन अधिकारी निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति में लाट निकालेगा और अभ्यर्थी जिसका नाम प्रथम बार में आयेगा, को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाए.

15. निर्वाचन का परिणाम :– पीठासीन अधिकारी द्वारा उसी दिन समिति के सदस्यों के निर्वाचन का परिणाम घोषित किया जाएगा.

// पीठासीन अधिकारी सम्मिलन के तुरन्त पश्चात् //

16. निर्वाचन के कागज पत्रों के अभिलेख :–

(क) सम्मिलन की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करेगा और हस्ताक्षर करेगा, अपने आद्याक्षर से उसमें किए गए हरेक संशोधन को अभिप्रमाणित करेगा और सम्मिलन में उपस्थित किसी सदस्य, यदि वह ऐसा करने की इच्छा अभिव्यक्त करता है तो ऐसे अभिलेख पर उसके हस्ताक्षर अंकित करने की अनुज्ञा भी देगा, और

(ख) कलेक्टर कार्यालय के सूचना फलक पर अपने हस्ताक्षर से समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम की सूची, प्रकाशित करेगा, और ऐसी सूचना की एक प्रति जिला पंचायत तथा जिले की प्रत्येक नगरपालिका को भी प्रेषित करेगा.

17. निर्वाचन कागज पत्रों का अभिरक्षणः – कलेक्टर, निर्वाचन संबंधी समस्त कागज–पत्रों को मुहरबंद लिफाफे में एक वर्ष के लिए अपने कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और तत्पश्चात् यदि सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाये, तो नष्ट कर दिया जाएगा.

प्ररूप–1

{ नियम –10 का उप नियम (1) देखिए }

जिला.....की जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन का प्ररूप ।

मैं, निम्नलिखित व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र / नगर निगमों / नगरपालिका परिषदों/ नगर पंचायतों के लिए जिला योजना समिति.....के सदस्य को एक स्थान के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करता हूं ।

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. आयु .....
4. पूरा पता .....
5. प्रस्तावक का पूरा नाम .....
6. समर्थक का पूरा नाम .....

.....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

तारीख

.....

समर्थक के हस्ताक्षर

प्ररूप–2(क)
{ नियम–14(1) देखिये }
मतपत्र (नगर निगम)

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	चिन्ह (3)

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्ररूप–2 (ख)
{ नियम–14 (1) देखिये }
मतपत्र (नगरपालिका परिषद)

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	चिन्ह
(1)	(2)	(3)

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्ररूप–2 (ग)

{ नियम–14 (1) देखिए }

मतपत्र (नगर पंचायत)

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	चिन्ह (3)

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्रारूप–2 (घ)
{ नियम–14 (1) देखिये }
मतपत्र (ग्रामीण क्षेत्र)

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	चिन्ह
(1)	(2)	(3)

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

प्रपत्र–3
{ नियम–14(6) देखिये }
मतपत्रों की गणना का परिणाम

नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत जिला योजना समिति के ग्रामीण क्षेत्र से सदस्यों का निर्वाचन :

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये वैध मत
(1)	(2)	(3)

स्थान : .....

तारीख : पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. सी. रावत, उप सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 1995

क्र. एफ 9–93–95–तेईस–यो–2 – मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995(क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उप समितियों के गठन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

// नियम //

1. (1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : – इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995'' है.

(2) ये नियम उनके ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995);

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश जिला योजना समिति;

(ग) ''निर्वाचित सदस्य'' से अभिप्रेत है, जिला योजना समिति के निर्वाचित सदस्य;

(घ) ''उप–समिति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित जिला योजना समिति की उप–समिति.

3. उप समिति का गठन एवं संरचना :– अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए जिला योजना समिति के संकल्प द्वारा स्थाई या अस्थाई प्रयोजन हेतु उप–समितियों का गठन किया जा सकेगा.

4. सदस्यों की संख्या :– प्रत्येक उप–समिति में कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी के अतिरिक्त 5 से 11 सदस्य होंगे, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला योजना समिति के सदस्यों में से तथा अधिनियम की धारा 5 में यथा उपबंधित स्थाई विशेष आमंत्रितों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

5. **पीठासीन अधिकारी** :– उप–समिति का गठन करते समय, जिला योजना समिति का अध्यक्ष, उप–समिति की कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से किसी एक को पीठासीन अधिकारी भी पदाभिहित करेगा. पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में उप–समिति नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से किसी एक को सम्मिलन के संचालन के लिए निर्वाचित कर सकेगी.

6. **सचिव** :– जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी उप–समिति का सचिव होगा.

7. **सहयोजन** :– उप समिति का पीठासीन अधिकारी संबंधित विभाग के जिला प्रमुखों/जिला योजना समिति के विशेषज्ञों को जब भी अपेक्षित हो उप समिति की सेवा के लिए सहयोजन कर सकेगा.

8. **उप समिति की अवधि** :– स्थाई उप–समितियों हेतु पीठासीन अधिकारी तथा सदस्यों की पदावधि एक वर्ष की होगी. अस्थाई प्रयोजन हेतु गठित उप–समितियों की अवधि जिला योजना समिति के संकल्प द्वारा विनिश्चित की जाएगी :
परन्तु कोई सदस्य जो जिला योजना समिति का या अधिनियम की धारा 5 में विहित किये गये निकाय का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह उप–समिति का पीठासीन अधिकारी या सदस्य बना नहीं रहेगा.

9. **सम्मिलन करना** :– उप समिति का पीठासीन अधिकारी उप समिति के उतने सम्मिलन बुला सकेगा जितने वह ठीक समझे तथापि उप–समिति का तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन बुलाया जाना आवश्यक होगा.

10. **सम्मिलन की सूचना** :– प्रत्येक सम्मिलन की ऐसी सूचना जिसमें उसकी तारीख, समय, स्थान और विषय–सूची उपदर्शित हो, 5 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जाएगी, तथा इसकी एक प्रति जिला योजना कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी.

11. **गणपूर्ति** :– सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति गठित करेंगे.

12. **उप समिति के कृत्य** :–

(क) रोजगार के लिए उप समिति :–

(एक) जिले में रोजगार के अवसर सृजित करने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन, उनके समन्वय तथा अनुश्रवण से संबंधित समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगी.

(दो) समय–समय पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु ऐसे कार्यक्रमों को परिलक्षित करेगी जो जिला विशेष के संदर्भ में सुसंगत हों.

(तीन) बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन करेगी.

(ख) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए उप समिति :–

(एक) जिला सेक्टर के अधीन ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों जो लक्ष्य समूह के कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही है की प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी और क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी;

(दो) उपलब्ध संसाधनों के परिपेक्ष्य में नवीन योजनायें परिलक्षित करेगी और योजना प्रस्ताव निश्चित करेगी; और

(तीन) उप–समिति उसके द्वारा निश्चित किये गये/अनुशंसित योजना प्रस्तावों को, जिला योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु, जिला योजना समिति को अग्रेषित करेगी.

13. सम्मिलन का कार्यवृत्त :– उप–समिति के सचिव द्वारा सम्मिलन का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा सभापति के अनुमोदन के पश्चात् उसकी एक प्रति जिला योजना समिति के अध्यक्ष, उप समिति के समस्त सदस्यों, संबंधित विभागों के जिला प्रमुखों तथा सदस्य–सचिव, राज्य योजना मण्डल को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. सी. रावत, उप सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 1996

क्र. एफ 9–11–95–तेईस–यो–2 मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 10 की उपधारा (5)` साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

// नियम //

1. **संक्षिप्त नाम** :– इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995'' है.

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995)
   (ख) ''अशासकीय सदस्य'' से अभिप्रेत है, जिला योजना समिति का कोई सदस्य, जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण न करता हो ।
   (ग) ''विशेषज्ञ'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन जिला योजना समिति द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ ।

3. नाम निर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों तथा विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता : – जिला योजना समिति तथा जिला योजना उप समिति के सम्मिलिनों में आमंत्रित किये गये अशासकीय सदस्य तथा विशेषज्ञ, राज्य के भीतर उनके सामान्य निवास स्थान से जिला योजना समिति तथा जिला योजना उप समिति कार्यालय के जिला मुख्यालय, जिसके लिए उन्हें नाम निर्दिष्ट किया गया है, तक और वापसी यात्रा हेतु श्रेणी क (2) के अनुसार स्वीकार्य यात्रा भत्ता तथा राज्य सरकार के श्रेणी ''क'' के अधिकारी के समान स्वीकार्य दैनिक भत्ता के हकदार होंगे. अन्य निर्वाचित सदस्य उन्हीं संगठनों से, जिनका वे समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें लागू साधारण दरों से यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे.

4. **देयक** :– इन नियमों के अधीन देय यात्रा भत्ता देयक जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा.

5. **भत्तों के लिए दावा** :–
   (1) इन नियमों के अधीन भत्ते का कोई दावा इसके शोध्य होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा.
   (2) यदि दावा एक वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है तो दावेदार को देयक में जिला कलेक्टर के समाधान–प्रद रूप में विलम्ब से प्रस्तुति का कारण बतलाना होगा.

6. **निधि** :– इन नियमों के अधीन यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पर व्यय आकस्मिक व्यय माना जाएगा तथा संबंधित जिला योजना कार्यालय के सामान्य आकस्मिक व्यय हेतु आवंटन से विकलनीय होगा.

7. **कठिनाइयों का दूर किया जाना** :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका या कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. सी. रावत, उप सचिव.